

**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813/ 9304727852



पत्रांक : ०१ / यो०ब०-२१/२०२०- ८५

दिनांक :- ०८/२/२०२१

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2026-27 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण, पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर पी०वी०सी० जाली से निर्मित गमला गैबियन से वृक्षारोपण तथा पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन से वृक्षारोपण कार्य के लिए कुल रु० 136.007 लाख (एक करोड़ छतीस लाख सात सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ४/यो०ब०-२५/२०२०-२६/स्वी० व०प० दिनांक-२७.०१.२०२१ एवं आवंटन आदेश संख्या-०४/यो० बजट-२५/२०२०-४०/आ० व०प० दिनांक-२९.०१.२०२१।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०१ वानिकी, लघु शीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-५९-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 136.007 लाख (एक करोड़ छतीस लाख सात सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789590103	62.301
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789590323	73.706
कुल :-		136.007

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-१(क से ग) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को सम्मय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-२(क से ग) एवं स्थल विवरणी अनुलग्नक-३(क से ग) पर तथा ऑन लाईन उप-आवंटन अनुलग्नक-४ पर द्रष्टव्य है।



3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601789590103 तथा 19S240601789590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. यदि नदी तट वृक्षारोपण हेतु 100 प्रतिशत वनभूमि अथवा गैर-मजरुआ भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में नदी तट वृक्षारोपण की एक इकाई, जिसकी लम्बाई 100 मी० होती है, उसके चयन के क्रम में यदि आंशिक रूप से रैयती भूमि आ रही हो, तो इस प्रकार की रैयती भूमि का हिस्सा (100 मी० लम्बाई की इकाई में) यदि अधिकतम 30 प्रतिशत हो तो इस प्रकार के स्थल को वृक्षारोपण हेतु चयनित किया जा सकता है। इस क्रम में यह आवश्यक होगा कि जमीन के मालिक वन विभाग को योजना अधिक के लिए उक्त रैयती भूमि को वृक्षारोपण के लिए स्वेच्छा से सुपूर्द करने को तैयार हो एवं इसके लिए वन विभाग को इकरारनामा-सह-अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दें। योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जाएगा।

5. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान अन्तर्गत शामिल जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

6. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

10. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे।

11. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :—

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमङ्गलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vi) दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

12. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :—

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020–21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor. भारत सरकार के पैट्रॉन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

13. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(IX) कंडिका— VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

(X) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

14. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

15. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

18. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या GeM से की जाएगी।

19. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या—सह—ज्ञापांक—686, दिनांक—05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

21. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड का पत्रांक—2341 दिनांक—04.12.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय—समय पर निर्गत योजना—सह—वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

22. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

23. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आकड़ा वर्षवार विभागीय वेबसाईट पर फोटो के साथ डाला जाए तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध कराई जाए।

24. नदी तट वृक्षारोपण कार्य मयूराक्षी नदी तट पर ही किया जाएगा। नदी तट पर मुख्यतः स्थायी पौधशाला में उपलब्ध अर्जुन, सेमल, कदम, करंज, शीशम, जामुन, आम, बेल, बेर, इमली, पीपल, बरगद, नीम, सिरिस, जंगली जिलेबी गम्हार आदि के प्राकृतिक प्रजातियों के कम से कम 4 से 5 फीट औसत ऊँचाई के पौधे लगाये जायेंगे, जो वहाँ के मिट्टी एवं नमी के अनुरूप हो। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

25. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित विभाग के सक्षम स्तर से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया गया है। जिन वन प्रमंडलों के स्थलों में जी०पी०एस० कॉ—ऑर्डिनेट्स अप्राप्त है, उनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थलों का जी०पी०एस० कॉ—ऑर्डिनेट्स उपलब्ध कराने के उपरांत ही राशि व्यय करेंगे।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— ०१ / यो०ब०—२१ / २०२०—८४ दिनांक—०८/२/२०२१

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग/संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— ०१ / यो०ब०—२१ / २०२०—८४ दिनांक—०८/२/२०२१

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, दुमका/ गिरिडीह/ कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :— यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 0 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (कि०मी० में)	यूनिट कि संख्या (प्रति कि०मी० 10 यूनिट)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अग्रिम कार्य)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				47872.27	59710.54	107582.81
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	10.00	100.00	47.872	59.469	107.341
योग :-		10.00	100.00	47.872	59.469	107.341


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
 झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत पथरट/संस्थानों आदि की भूमि पर पी०वी०सी० जाली से निर्मित गमला गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन में)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			212.98	922.75	1135.73
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	450	0.958	4.152	5.110
योग :-		450	0.958	4.152	5.110

अनुलग्नक-1(ग)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत पथरट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन में)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			612.31	458.40	1070.71
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	700	4.286	3.209	7.495
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	1500	9.185	6.876	16.061
योग :-		2200	13.471	10.085	23.556



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड, राँची।

नदी तट पर वृक्षारोपण का अनुसूचित दर तालिका

पौधों की संख्या प्रति यूनिट	300
पौधों की दूरी	2mx3m
1 यूनिट का परिमाप	2000 m ²
1 यूनिट में धेरान की कुल लम्बाई	240m
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	295.80

रुपये

क्र. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (₹० में)	सामग्री (₹० में)	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A वित्तीय वर्ष 2020-21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 295.80						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्रति इकाई	0.6	177.48		177.48
2	घनी झाड़ी सफाई	प्रति इकाई	2	591.60		591.60
3	धेरान कार्य	प्रति इकाई	-			
3.1	आर०सी०सी० पीलर 82 सं० 823.00 ₹० प्रति पीलर। पीलर का आकार 7' x 4" x 4" का निर्माण एवं 1' x 1' x 2' का गड्ढा में ढलाई कर लगाने का खर्च	प्रति इकाई	118	34904.40	39475.16	74379.56
3.2	कंटीला तार 4Point 2Ply 12swg, 15cm apart 64.32 ₹० प्रति कि०ग्रा० की दर से 225 kg	प्रति इकाई	0.00	0.00	14472.00	14472.00
3.3	कंटीलातार को खींचने, सीधा करने, स्भेल इत्यादि लगाने का कार्य सहित।	प्रति इकाई	5.93	1754.09		1754.09
3.4	आर०सी०सी० पीलर एवं कंटीलेतार की कार्य स्थल तक ढुलाई 15% of (3.1+3.2)	प्रति इकाई	27.51	8137.46	5763.38	13900.84
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 967 पीट प्रति है० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	प्रति इकाई	6.60	1952.28	0.00	1952.28
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डैम / कंटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	प्रति इकाई	1.20	354.96	0.00	354.96
कुल:-			161.84	47872.27	59710.54	107582.81
B वित्तीय वर्ष 2021-22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 340 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020-21 को आधार मानते हुए						
1	पौधों का क्रय ढुलाई सहित 360	10 ₹० प्रति	0	0.00	3600.00	3600.00
2	वृक्षारोपण	प्रति इकाई	6.6	2244.00	0.00	2244.00
3	दो कोडनी एवं निकौनी	प्रति इकाई	7.50	2550.00	0.00	2550.00
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	18.00	6120.00		6120.00
5	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	472.13	472.13
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति इकाई		0.00	500.00	500.00
कुल:-			32.10	10914.00	4572.13	15486.13
C वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 391 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021-22 को आधार मानते हुए						
1	एक कोडनी-निकौनी	प्रति इकाई	4.2	1642.20	0.00	1642.20
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / उरिया, जैविक किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	661.40	661.40
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	9384.00	0.00	9384.00
4	धेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.20	469.20	275.00	744.20
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (@10%) 100 Plant	प्रति इकाई	0.62	242.42	100.00	342.42
6	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	5333.24	0.00	5333.24
कुल:-			43.66	17071.06	1036.40	18107.46

क्र. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (₹० में)	सामग्री (₹० में)	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
D	वित्तीय वर्ष 2023–24 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 450 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए					
1	एक कोडनी—निकौनी	प्रति इकाई	4.2	1890.00		1890.00
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	204.90	204.90
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	10800.00	0.00	10800.00
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.2	540.00	275.00	815.00
5	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	6138.00		6138.00
	कुल:-		43.04	19368.00	479.90	19847.90
E	वित्तीय वर्ष 2024–25 में संपोषण कार्य (पांचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 517 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2023–24 को आधार मानते हुए					
1	एक कोडनी—निकौनी	प्रति इकाई	4.2	2171.40		2171.40
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	204.90	204.90
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	6204.00		6204.00
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.20	620.40	275.00	895.40
	कुल:-		17.4	8995.80	479.90	9475.70
F	वित्तीय वर्ष 2025–26 में संपोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 595 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2024–25 को आधार मानते हुए					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	7140.00		7140.00
	कुल:-		12.00	7140.00	0.00	7140.00
G	वित्तीय वर्ष 2026–27 में संपोषण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 684 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2025–26 को आधार मानते हुए					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	8208.00		8208.00
	कुल:-		12.00	8208.00	0.00	8208.00
	सकल योग:-		322.040	119569.13	66278.87	185848.00

नोट (1) कंटीले तार का क्रय GeM द्वारा अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की समिति की अनुशंसित दर पर किया जाएगा (जो न्यूनतम हो)।

(2) प्रत्येक ब्लॉक के बीच सुगम आवगमन हेतु कुछ अंतर रखा जाए, ताकि आदमी एवं जानवर का आवागमन हो सके। व्यवहारिक रूप से 10 ब्लॉक को 1 किमी० माना जा सकता है।

(3) स्थल पर उपलब्ध भूमि के आकार एवम् लगाए जाने वाले पौधों की संख्या के अनुसार क्रमांक (A) से क्रमांक (E) तक कार्यों की दर को Pro-rata आधार पर स्थल – विशिष्ट प्राकलन पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात व्यय किया जाएगा।


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
 झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम— पथरट / संस्थानों आदि की भूमि पर पी०वी०सी० जाली से निर्मित — गमला गैबियन वृक्षारोपण

गैबियन का आकार — उपर का व्यास रींग 2' 5"
 बीच का व्यास रींग 2' 0" एवं नीचे का व्यास रींग 1' 5", ऊंचाई — जमीन से उत्तर 5' 3" तथा एक फीट गहरा जमीन में एवं 9" की पत्ती मुड़ी जो आगे से कटी हुई हो।

स्पेसिंग — पंक्ति से पंक्ति की दूरी — 3 मी०

कार्य दर — एक गैबियन

पौधे से पौधे की दूरी — 5 मी०

मजदूरी प्रति मानव दिवस: ₹ 295.80 रुपये

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	प्रति गैबियन	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (₹० में)	सामग्री (₹० में)	कुल व्यय (₹० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) वित्तीय वर्ष 2020–21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 295.80							
1 घेरान कार्य							
क	गैबियन हेतु हरे रंग का hexagonal आकार का पॉलीनेट (thickness of filament 4mm, thickness of joint 5.5mm, 550 GSM, Polynet @ Rs 85/sq.mtr.) का क्रय	3.5 sq.mtr	0.00	0.00	297.50	297.50	
ख	लोहे की पत्ती (5mm thick, 20mm wide, 40 feet length) का क्रय एवं गैबियन निर्माण (₹० 65/- प्रति किलो कुल 9 किग्रा०)	प्रति गैबियन	0.40	118.32	485.00	603.32	
ग	गैबियन का खूंटा गाड़ने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूंटा गाड़ने हेतु 1' x 6" x 6" आकार के 3 गढ़ों को खोदना तथा पी.सी.सी. का ढलाई (1:3:6)	प्रति गैबियन	0.15	44.37	20.25	64.62	
घ	प्लास्टिक स्टेपलस का क्रय एवं स्टेपलस को पॉलीनेट एवं लोहे के पत्ती के साथ बाहर से बांधना।	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
ड.	सामान की ढुलाई प्रति गैबियन ₹० 50/-	प्रति गैबियन	0.00	0.00	50.00	50.00	
च	गैबियन की लोहा पत्ती पर पाउडर कोटेड पेट।	प्रति गैबियन	0.00	0.00	50.00	50.00	
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.17	50.29	0.00	50.29	
योग			0.72	212.98	922.75	1135.73	
(B) वित्तीय वर्ष 2021–22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 340 (वृद्धि 15%)							
वित्तीय वर्ष 2020–21 को आधार मानते हुए							
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	25.00	25.00	
2	गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं गोवर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	51.00	20.00	71.00	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	34.00	2.00	36.00	
4	तीन कोडनी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगाने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	51.00	4.50	55.50	
5	पटवन (रिक्षा / ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	170.00	25.00	195.00	
6	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	170.00	0.00	170.00	
7	साईन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
योग			1.40	476.00	96.50	572.50	

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	प्रति गैबियन	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (₹0 में)	सामग्री (₹0 में)	कुल व्यय (₹0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(C)	वित्तीय वर्ष 2022–23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 391 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम—5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्पे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	58.65	4.50	63.15	
2	पटवन (रिक्षा /ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	195.50	5.00	200.50	
3	गैबियन की मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	195.50	60.00	255.50	
	योग		1.15	449.65	69.50	519.15	
(D)	वित्तीय वर्ष 2023–24 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 450 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम—5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्पे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	67.50	4.50	72.00	
2	पटवन (रिक्षा /ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	225.00	5.00	230.00	
3	गैबियन की मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	225.00	60.00	285.00	
	योग		1.15	517.50	69.50	587.00	
	कुल योग		4.42	1656.13	1158.25	2814.38	

नोट (1) शहरों में सड़कों के किनारे एक सड़क पर सामान्यतः एक प्रजाति को पौधों का रोपण किया जाय।

(2) गैबियन पर गैबियन संख्या अंकित की जाएगी।

(3) गैबियन में प्रकाष्ठ प्रजाति, फलदार एवं शोभाकार पौधों का रोपण किया जाएगा।

(4) प्रत्येक ग्राम के निकट पथ के दोनों तरफ कम से कम 50 फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा।

(5) पौधों का क्रय विभागीय पौधशालाओं से करने को प्राथमिकता दी जाय।

(6) चार वर्षों की योजना समाप्ति के पश्चात् पोलीनेट जाली को खोलकर इसे recycle करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, रॉची

योजना का नाम— पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बॉस गैबियन के साथ वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

1. बॉस—गैबियन का आकार ६'-६"X२'-६"X२'-६"

पंक्ति से पंक्ति की दूरी — ३ मी०

3 मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: २९५.८० रुपये

2. स्पेसिंग —

पौधे से पौधे की दूरी — ५ मी०

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० २९५.८०						
1	घेरान कार्य						
क	बॉस का खूंटा —४ अदद (खूंटे की लंबाई ६'-६") एवं जाफरी हेतु बॉस (कुल ४ बॉस @ ८०.०० रु., प्रति ग्रामीण बॉस) डुलाई सहित	प्रति गैबियन	०.००	०.००	३२०.००	३२०.००	
ख	जाफरी का निर्माण एवं खूंटों में जाफरी को लगाना	प्रति गैबियन	१.००	२९५.८०	०.००	२९५.८०	
ग	खूंटों की कोलतारा/ब्लैक जापान/ब्लैक पेन्ट से रंगाई	प्रति गैबियन	०.२०	५९.१६	६.००	६५.१६	
घ	जाफरी की हरे एवं लाल पेंट से रंगाई	प्रति गैबियन	०.३०	८८.७४	९०.००	१७८.७४	
ड	गैबियन का खूंटा लगाने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूंटा लगाने हेतु १'x1'x1'-६" आकार के ४ गढ़ों को खोदना तथा खोदी गई मिट्टी को समुचित रथल पर संचित करना	प्रति गैबियन	०.२०	५९.१६	०.००	५९.१६	गर्म पेट में डूबोकर रंगाई की जायेगी। गैबियन को एक हरा—एक लाल alternate स्थापित किया जायेगा।
च	जाफरी सहित खूंटा लगाना—४ खूंटा —२० खूंटा प्रति मानव दिवस (डुलाई सहित)	प्रति गैबियन	०.२०	५९.१६	१५.००	७४.१६	
छ	जाफरी हेतु	प्रति गैबियन		०.००		०.००	
	(1) तार १०० ग्राम (६७/- रु. प्रति किलोग्राम)		०.००	०.००	६.७०	६.७०	
	(2) काटी ३०० ग्राम (६९/- रु. प्रति किलोग्राम)		०.००	०.००	२०.७०	२०.७०	
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु २'x२'x२' आकार का गडडा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित रथल पर संचित करना	प्रति गैबियन	०.१७	५०.२९	०.००	५०.२९	
	योग		२.०७	६१२.३१	४५८.४०	१०७०.७१	
(B)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० ३४० (वृद्धि १५ प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020-21 को आधार मानते हुए						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिरक्षण हेतु २० प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ रथल पर डुलाई सहित	प्रति गैबियन	०.००	०.००	२५.००	२५.००	छ. फीट ऊँचाई के काष्ठ, फलदार एवं शोभाकार प्रजाति के Evergreen पौधे लगाए जाएंगे
2	गडडे में लालने हेतु बालू एवं वर्मी कम्पोस्ट का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	०.१५	५१.००	२०.००	७१.००	
3	पौधारोपण (DAP-५० ग्राम तथा कीटनाशक ४ ग्राम)	प्रति गैबियन	०.१०	३४.००	२.००	३६.००	
4	तीन कोडनी निकोनी (प्रथम—५ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: १०ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक, तृतीय: ५ ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगाने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्पे। मृत पौधों का बदलाय	प्रति गैबियन	०.१५	५१.००	४.५०	५५.५०	
5	पटवन (रिक्षा /ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	०.५०	१७०.००	२५.००	१९५.००	
6	सुरक्षा	प्रति गैबियन	०.५०	१७०.००	०.००	१७०.००	
7	साईन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति गैबियन	०.००	०.००	२०.००	२०.००	
	योग		१.४०	४७६.००	९६.५०	५७२.५०	

संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(C)	वित्तीय वर्ष 2022–23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 391 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए						
1	तीन कोडनी निकौनी (प्रथम— 5गा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10गा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 गा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैवियन	0.15	58.65	4.50	63.15	
2	पटवन (रिक्षा/ठेला द्वारा)	प्रति गैवियन	0.50	195.50	5.00	200.50	
3	बॉस गैवियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैवियन	0.50	195.50	60.00	255.50	
	योग		1.15	449.65	69.50	519.15	
(D)	वित्तीय वर्ष 2023–24 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 450 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए						
1	तीन कोडनी निकौनी (प्रथम— 5गा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10गा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 गा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैवियन	0.15	67.50	4.50	72.00	
2	पटवन (रिक्षा/ठेला द्वारा)	प्रति गैवियन	0.50	225.00	5.00	230.00	
3	बॉस गैवियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैवियन	0.50	225.00	60.00	285.00	
	योग		1.15	517.50	69.50	587.00	
	कुल योग		5.77	2055.46	693.90	2749.36	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रॉची

A

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2026-27 तक कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना
(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण का स्थल विवरणी

क्र0	प्रमाणिक वाले का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	नदी का नाम	स्थल का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21		अधिकृति
					जी०पी०एस०	रक्का कॉ-ऑफ़नेट्स (किमी० में)	
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	स०वाटप्रदेश, दुमका	मधुराक्षी (मोतीहारा) नदी	शीतलपुर से जयनगर एवं बाँसजोड़ा से झमरथर	10	मधुराक्षी नदी के तट पर वृक्षारोपण का कार्य कराया जाएगा।	
योग:-					10		

मधुराक्षी
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक-3(छ).

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक कार्यालयित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्सूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत प्रीवी0सी0 जाती से निर्मित गमला गैबियन से वृक्षारोपण

क्र. सं.						क्र. सं. विवरणी	रकमा (रु० मे)
क्र० सं०	प्रमाणित का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं०	स्थल का नाम	जी०पी०एस० का०-आईनेट०स०	खाँट न०
1	गिरिझीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिझीह	जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र			जमुआ चौक से भिजागंज सूर्य मन्दिर भाया थाना मोड		450
योग:-							450

मुख्य कार्यकारी संसदीकृत विकास,
अपर प्रधान मुख्य कार्य संसदीकृत विकास,
ज्ञारखण्ड, राँची।

7

वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2023–24 तक कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनमूलि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत पथरत / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का स्थल विवरणी

अपर प्रधान मुख्य वन सदृक् धक्षा॑स्

ପ୍ରକାଶକ ମେଳାନ୍ତିକା



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-21/2020/84

दिनांक -

08-Feb-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिमूलित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	75735	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	4,787,200.00 रुपये सैलालीस लाख सित्यासी हजार ढो सो
2	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिमूलित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	75737	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	524,400.00 रुपये पॉच लाख चौहास हजार चार सो
				5,311,600.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये लौरपन लाख ग्यारह हजार छ: सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601789590103	75740	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERM/	918,500.00 रुपये नौ लाख अठारह हजार पौच सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - भजद्वी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
4	S 19 240601789590323	75742	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA/	5,946,900.00 रुपये उनसठ लाख छयातीस हजार नौ सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601789590323	75744	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	736,100.00 रुपये सात लाख छत्तीस हजार एक सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			

योग:

7,601,500.00

क्रमिक योग:

12,913,100.00

रुपये एक करोड उन्तीस लाख तेरह हजार एक सौ

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्द प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	75746	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERM/	687,600.00 रुपये छ: लाख सित्तासी हजार छ: सौ



योग:

687,600.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड़ छहतीस लाख सात सौ

13,600,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND